रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1986/भाद्र 14, 1908
No. 193] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1986/BHADRA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1986

[निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 17-ईटीसी (पीएन)/86

विषय :—तिब्बी भूमि में उत्पादित कुष (कोस्टस लाप्पा सिइम सोसुरिया लाप्पा सीबीसी1, एस्टेरेसिया) और उसके व्युत्पन्नों का निर्यात।

फाइल सं. 48(4)/85-ई-2 :—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं. ई (सी) ओ, 1977/एएम (326), दिनांक 5 सितम्बर, 1986 और सार्वजनिक सूचना सं. 3-ईटीसी (पीएन)/86, दिनांक 1 अप्रैल, 86 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह निश्चित किया गया है कि निजी भूमि में उत्पादित कुथ (कोस्टस लाप्पा सिइन सॉसुरिया लाप्पा सी बी सी1, एस्टेरेसिया) और उसके व्युत्पन्नों के निर्यात की अनुमति "गुणवत्ता" के आधार पर दी जाए। वह कुथ जड़े जिनको लाहोल और स्पिती घाटियों के कृषि के क्षेत्रों से लिया गया है केवल उनके ही निर्यात पर विचार किया जाएगा। जंगलों से प्राप्त किए गए कुथ के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्यातक को मद के प्रत्येक प्रेषित माल के लिए सी आई टी ई एस प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है ऐसे प्रेषित माल पर्यावरण, वन एवं जंगली जीव जन्तु विभाग द्वारा, कस्टम पर पूर्ण पोतलदान के निरीक्षण की शर्त के अधीन होगा।

3. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति 1985–88 (खंड-दो) के पृष्ठ 16 पर नीति विवरण की क्रम सं. 24–क के सामने कालम 2 और 3 में प्रदर्शित प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

अनुसूची–1 के भाग ख में क्रम सं.	मद का विवरण	लाइसेंसिंग नीति
"24क	कुथ (कोस्टस लाप्पा सिइन सौसुरिया लाप्पा सीबीसी1 एस्टेरेसिया) जिसको निजी भूमियों में उगाया गया हो और उसके व्युत्पन्न।	'गुणवत्ता के आधार पर' टिप्पणी:—जंगलों से प्राप्त हुई कुथ के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 5th September, 1986

Export Trade Control

Public Notice No. 17-ETC(PN)/86

Subject:—Export of Kuth (Costus lappa Syn. Saussurea lappa CB. Cl. Asteraceae), cultivated in private lands, and its derivatives.

File No. 48 (4)/8-EII.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(326) dated the 5th September, 1986, and Public Notice No. 3-ETC(PN)/86 dated the 1st April, 1986, on the above subject.

2. In partial modification of the aoforesaid Public Notice, it has been decided to allow export of Kuth (Costus lappa Syn. Saussurea lappa—C.B. Cl. Asteraceae) cultivated in private lands, and its derivatives "On Merits". Kuth Roots which are taken from cultivated areas of Lahaul and Spiti Valleys only

will be considered for export. Export of Kuth obtained from the wild will not be allowd. The exporter is required to obtain CITES certificate for each consignment of the item. Such consignment shall be subject to preshipment inspection at the Customs by the Department of Environment, Forests & Wild Life.

3. Accordingly, the entires appearing in columns 2 and 3 against serial number 24A of Policy statement at page 16 of Import and Export Policy 1985-88 (Vol. II) shall be substituted by the following:—

S.No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing of Policy
1	2	3
"24A	Kuth (Costus lappa Syn. Saussurea lappa—C.B. Cl. Asteraceae) cultivated in Private lands, and its derivaties.	'On Merits' Note : Export of Kutch obtained from the Wild will not be allowed."

R.L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986